भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 124

उत्तर देने की तारीख 21 जुलाई, 2025
30 आषाढ़, 1947 (शक)

महिलाओं के लिए खेल के मैदान और जिम का विकास

124. श्री इटेला राजेंदर:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अधिकाधिक महिलाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करने, लड़कियों के लिए व्यायामशालाओं का निर्माण करने तथा मौजूदा खेल के मैदानों का उन्नयन करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या युवा, प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जूड़ो और सिलबट्टम खेलों का सक्रिय रूप से अभ्यास कर रहे हैं और यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निवासी इन प्रयासों को अपर्याप्त मान रहे हैं और खेल के मैदानों के विकास के लिए विशेष रूप से भूमि की पहचान करने हेतु शहरव्यापी योजना की मांग कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए / उठाए जा रहे है; और

(ङ) पिछले 11 वर्षों के दौरान विशेष रूप से तेलंगाना सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार, कितनी धनराशि स्वीकृत और उपयोग की गई ?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ) 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण, खेलों के विकास की ज़िम्मेदारी, जिसमें अधिक महिलाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, लड़कियों के लिए व्यायामशालाओं का निर्माण और मौजूदा खेल के मैदानों का उन्नयन, यह सुनिश्चित करना कि युवा प्रोत्साहन स्कीम के तहत जूडो और सिलंबट्टम खेलों का सक्रिय रूप से अभ्यास कर रहे हैं, खेल के मैदानों के विकास के लिए विशेष रूप से भूमि की पहचान करने हेतु शहर-व्यापी योजना तैयार करना, मुख्य रूप से संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की है। केंद्र सरकार केवल महत्वपूर्ण कमियों को दूर कर उनके प्रयासों में सहायता करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय देश में महिलाओं, युवाओं और

पारंपरिक खेलों के विकास सहित खेलों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित स्कीमों को क्रियान्वित करता है:

(i) खेलो इंडिया- राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम;
(ii) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता;
(iii) अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के विजेताओं और उनके कोचों को विशेष पुरस्कार;
(iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार;
(v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन;.
(vi) पंडित दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष;
(vii) राष्ट्रीय खेल विकास निधि; और
(viii) भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन।

उपरोक्त स्कीमों का विवरण इस मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की वेबसाइटों पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

(ङ) धनराशि का आवंटन स्कीम-वार किया जाता है, न कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार। पिछले 11 वर्षों के दौरान खेल विभाग की विभिन्न खेल विकास स्कीमों के अंतर्गत आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	आवंटित धन	व्यय
2024-25	2332.50	2136.97
2023-24	2380.86	2329.35
2022-23	1907.69	1879.99
2021-22	1993.00	1748.76
2020-21	1313.40	1304.12
2019-20	2000.00	1989.39
2018-19	1381.52	1297.38
2017-18	1393.21	1229.32
2016-17	1078.35	1074.66
2015-16	1024.46	1020.65
2014-15	772.00	766.86

****